

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

रीडर/खाला/24/1495

दिनांक :- 21.07.2025

आदेश

ति धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 जनरल (कॉलोनी कंडीशन्स 8(1)RCA 1954)

प्रार्थी जसकरण सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 5 एमजेडी प.न. 165/179 से 165/180 तक गै.मु. के स्थान पर खातेदारी अंकन किये जाने हेतु निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पर तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्रांक भू.अ. 1/2025/2768 दिनांक 15.07.2025 द्वारा चक 5 एमजेडी के खाता संख्या 102/27 व संख्या 106/8 में स्थगन हटने के उपरान्त ही उक्त खातों में दर्ज खाले को काश्तकार तैदारी में दिया जाना उचित बतलाया एवं प.न. 165/179 मु.न. 2 किला नं. 25/2/0. मु.खाला बन्द होना एवं उक्त खाले पर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद/स्थगन ना बतलाते हुए गै.मु. भूमि को मुमकिन दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई एवं अधिशाषी जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ ने अपने पत्रांक 4349 दिनांक 15.01.2025 द्वारा एमजेडी प.न. 165/179 से 165/180 तक जल मार्ग निरस्त होने से कोई भी काश्तकार नहीं होना तथा उक्त निरस्त जलमार्ग पर आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में करण विचाराधीन नहीं होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

अतः उक्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार संगरिया उक्त चक 5 एमजेडी के 165/179 मु.न. 2 किला नं. 25/2/0.025 गै.मु.खाला को संबधित काश्तकार के नाम नुसार बकाया रकम आदि कोई शेष हो तो जमा कराने के बाद में राजस्व रिकार्ड में री दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।



(जय कौशिक)

उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

दिनांक :- 21.07.2025

सं.सम/1496,1497,1498

पि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

तहसीलदार भू-अभिलेख संगरिया को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कर तत्काल रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें।  
अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़।  
श्री.....।



उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया